

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.07.2013 को "संस्थागत उप नगर किशनगढ़ बास" हेतु जारी की गई अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए उप नगर नियोजक, अलवर को किशनगढ़ बास, अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील किशनगढ़ बास के निम्नलिखित 18 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान-2041 बनाने हेतु संयुक्त करती है:-

क्रम सं	राजस्व ग्रामों के नाम	क्रम सं	राजस्व ग्रामों के नाम
1.	कुलताजपुर	10	टहटड़ा
2.	छतरपुर	11	टांकाहेड़ी
3.	झिरन्डिया	12	नूर नगर
4.	तहनोली	13.	बास कृपाल नगर
5.	बम्बोरा	14.	किशनगढ़ बास
6.	बाघोर	15.	गंज
7.	खेड़ला	16.	दयालपुर
8.	ईस्माइलपुर (खैरथल-ईस्माइलपुर-किशनगढ़ बास रोड के उत्तर का क्षेत्र)	17.	ओदरा
9.	रानोली	18.	जाटका


राज्यपाल की आज्ञा से

—१४—

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), नगर नियोजक, जयपुर।
6. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, किशनगढ़ बास, जिला अलवर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



19/8/2021

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय